न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी का नामः—कानाराम, आई.ए.एस.

प्रार्थना पत्र संख्याः—49/2024 (14 सिक्योरिटाइजेशन)

कोगटा फाईनेनिशयल (इण्डिया) लिमिटेड़, 1 फलोर महावीर मार्केट बंसल हॉस्पिटल के सामने गंगानगर रोड़ हनुमानगढ़ जंक्शन जरिये प्राधिकृत अधिकारी राहुल सिंह राठौड़, पॉवर ऑफ एटोर्नी होल्डर कोगटा फाईनेनिशयल (इण्डिया) लिमिटेड।

——प्रार्थी

बनाम

1. श्री जगसीर सिंह पुत्र श्री अंग्रेज रिंह, निवासी वार्ड नं. 8 हासलिया, 2 रखै तहसील पीलीबंगा, जिला हनुमानगढ़ (राज.)।
2. श्रीमती कलजीत कौर पत्नी श्री जगसीर सिंह निवासी वार्ड नं. 8 हासलिया,2रखै तहसील पीलीबंगा, जिला हनुमानगढ़ (राज.)।
3. श्री विजय हंस पुत्र श्री हंसराज निवासी वार्ड नं. 2 गली नं. 4, गउशाला के पीछे, नई खुंजा हनुमानगढ़ (राज.)

——अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002।

<u>आदेश</u> दिनांकः—21.08.2024

प्रार्थी कोगटा फाईनेनिशयल (इण्डिया) लिमिटेड, पंजीकृत कार्यालय – कोगटा हाउस, आजाद मौहला, विजयनगर, राजस्थान व स्थानीय शाखा कार्यालय कोगटा फाईनेनिशयल (इण्डिया) लिमिटेड 1 फलोर महावीर मार्केट बंसल हॉस्पिटल के सामने गंगानगर रोड़ हनुमानगढ़ जंक्शन जरिये प्राधिकृत अधिकारी जरिये प्राधिकृत अधिकारी राहुल सिंह राठौड की ओर से श्री जयपाल झोरड़ वकील उपस्थित आये जिनको सुना गया। बैंक के वकील ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थी बैंक ने अप्रार्थीगण को जरिये खाता सं. 0000138794/RI में ऋण 11,23,435/— रूपये की ऋण सुविधा दिनांक 27.08.2021 को स्वीकृत व वितरित की गई थी। अप्रार्थीगण ने उक्त ऋण सुविधा की ऐवज में अपनी अचल सम्पति :— पटा नं. 1, ग्राम पंचायत हासलिया, पंचायत समिति पीलीबंगा जिला हनुमानढ़, पुरत्क नं. 70, मिसल नं. 36/2017—18, 3003 वर्ग फीट साईज है जिसकी चतुर्थ सीमा पूर्व में पृथ्वी सिंह, पश्चिम में आम रास्ता उत्तर मे सुभाष दक्षिण में भाला सिंह स्थित है जिसमें भूमि, भवन व ढॉचा आदि सम्पति के अभिन अंग है, जिसका कुल क्षेत्रफल 3003 वर्ग फीट है, जो कि श्री जगसीर सिंह पुत्र श्री अंग्रेज सिंह के नाम से हैं, जिसको आवश्यक दस्तावेजों का निष्पादन करके प्रार्थी कम्पनी के पक्ष में साम्यिक बंधक किया।

अप्रार्थीगण ने कम्पनी द्वारा प्रदत ऋण को ऋण अनुबन्ध की शर्तो के अनुसार नही चुकाने पर उक्त ऋण खाता दिनांक 03.02.2022 को अकियान्वित आस्ति के रूप में (एन.पी.ए.) वर्गीकृत कर दिया गया है। अप्रार्थीगण के ऋण खाता में बकाया राशि 20,04,926/— रूपये दिनांक 11.12.2023 तक का ब्याज शामिल करते हुए तथा इसके पश्चात का ब्याज व अन्य खर्चे अतिरिक्त बकाया निकलते है और इस राशि का भुगतान करने के लिए अप्रार्थीगण जिम्मेदार है।

अप्रार्थीगण के ऋण खाता एनपीए होने पर एक्ट की धारा 13(2) के अन्तर्गत प्रार्थी कम्पनी ने अप्रार्थीगण को रजिस्टर्ड नोटिस दिनांक 11.12.2023 भेज कर 60 दिन में ऋण राशि जमा करने की मांग की गई। परन्तु नोटिस के उपरान्त भी समयावधि में ऋण राशि का भुगतान नहीं किया गया

जिला मजिस्ट्रेट
हनुमानगढ़

अप्रार्थीगण द्वारा देय ऋण राशि का भुगतान बावजूद मांग के प्रार्थी कम्पनी को नहीं करने पर उक्त एक्ट के प्रावधानों के अनुसार प्रार्थी कम्पनी उपरोक्त वर्णित रहन शुदा सम्पति का कब्जा प्राप्त करने व विक्रय कर शेष देय ऋण राशि वसूल करने का अधिकारी है। उक्त एक्ट की धारा के प्रावधानों के अन्तर्गत उक्त रहन शुदा बंधक सम्पति का भौतिक कब्जा प्रार्थी कम्पनी द्वारा लिया जाना है। प्रार्थी कम्पनी को भौतिक कब्जा लेने हेतु पुलिस सहायता दिलाये जाने के आदेश फरमाये जावे।

प्रार्थी कम्पनी के वकील के कथनों पर मनन किया और पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया। पत्रावली का अवलोकन करने पर पाया कि अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी कम्पनी को ऋण राशि का भुगतान करने में असफल रहने पर प्रार्थी कम्पनी द्वारा अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थीगण को नोटिस प्रेषित करना पाया गया। इसके पश्चात भी अप्रार्थीगण द्वारा ऋण राशि की शर्तो के मुताबिक ऋण राशि का भुगतान प्रार्थी कम्पनी को नहीं करने पर The Securitisation and Reconstruction of Financial Assests of Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 में प्रदत शक्तियों के तहत तथा प्रार्थी कम्पनी के द्वारा पेश किये गये शपथ पत्र पर विश्वास करते हुए प्रार्थी कम्पनी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। प्रार्थी कम्पनी के पास रहन रखी अचल सम्पति :– पटा नं. 1, ग्राम पंचायत हासलिया, पंचायत समिति पीलीबंगा जिला हनुमानढ़, पुस्तक नं. 70, मिसल नं. 36/2017–18, 3003 वर्ग फीट है जिसमें भूमि, भवन व ढांचा आदि सम्पति के अभिन अंग है, जिसका कुल क्षेत्रफल 3003 वर्ग फीट है, जो कि श्री जगसीर सिंह पुत्र श्री अंग्रेज सिंह के नाम से है, जिसका भौतिक कब्जा जरिये पुलिस की सहायता से प्रार्थी कम्पनी को दिलाये जाने के आदेश दिये जाते है। जिला पुलिस अधीक्षक हनुमानगढ़ को निर्देश दिये जाते है कि प्रार्थी फाईनेंस कम्पनी को चाहे अनुसार पुलिस सहायता संबंधित पुलिस थाना के माध्यम से नियमानुसार उपलब्ध करवाई जावे। पत्रावली नंबर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर की जावे।

यह आदेश आज दिनांक 21.08.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट हनुमानगढ़

जिला मजिस्ट्रेट
हनुमानगढ़

जिला मजिस्ट्रेट
हनुमानगढ़